न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 03 / 2019

प्रार्थी–

सन्तोकलाल पुत्र बंशीलाल जाति घूसर निवासी भाखरवाली वास, समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत समदड़ी, पंचायत समिति सिवाना
2. प्रेमाराम पुत्र भूराजी घांची के विधिक वारीसान–

2.1 शांतिदेवी पत्नी प्रेमाराम

2.2 मदनलाल पुत्र प्रेमाराम

2.3 पारस पुत्र प्रेमाराम

2.4 पपु पुत्र प्रेमाराम

जाति घांची निवासी भाखरीवाला वास, समदड़ी, पंचायत समिति सिवाना तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 06 मिसल सं. 845 / 2007 दिनांक 02.11.2007 तथा पट्टा विलेख दिनांक 18.06.2008 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सम्पत बोथरा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 30 / 12 / 2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत ग्राम समदड़ी मे ग्राम

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 06 दिनांक 05.02.2008 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 3250 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत समदड़ी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित नियम 157(ख) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आवेदन पेश किये जाने की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.12.2007 को लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर प्राप्ति रसीद ली गई। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति प्रकट करते हुए निवेदन किया था कि अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थी के घर के आगे 20 फीट रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर उसे अपनी भूमि में शामिल कर उसका पट्टा बनाना चाहता हैं। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा प्रार्थी की उक्त आपत्ति का निस्तारण किये बिना ही आलौच्य पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत समदड़ी की साधारण बैठक दिनांक 19.07.2008 में वार्ड पंच देवाराम ने प्रस्ताव रखा कि प्रेमाराम पुत्र भूराराम घांची द्वारा रास्ता व शनिदेव मन्दिर की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया हैं जो रोका जावे। इस बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन सरपंच रतन कंवर द्वारा की

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गई थी एवं समस्त वार्ड पंच उपस्थित थे अर्थात उक्त बैठक तक आलौच्य पट्टा जारी नहीं था इसके पश्चात कूटरचित तरीके से पुरानी तारीख में आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। आलौच्य पट्टा विलेख आम रास्ता एवं शनिदेव मंदिर के प्रांगण की भूमि के पश्चात 30 गुणा 45 फीट परिसर भगाराम मेघवाल का था जिसे भगाराम ने अपनी पुत्री के नाम किया था। भगाराम की पुत्री ने आगे रामसिंह रावणा राजपूत निवासी खण्डप को बेचान किया तथा रामसिंह से उक्त भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 ने जरिये ईकरारनामा खरीद किया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 का पैतृक व पुश्तैनी नही है, बल्कि खरीदशुदा हैं। ऐसी स्थिति आलौच्य पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(ख) के तहत गलत रूप से जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 ने आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 140 से 148 की पूर्ण अनदेखी की गई हैं एवं प्रार्थी द्वारा वास्तविक तथ्यों को उल्लेखित करते हुए जो आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसका भी निस्तारण नहीं किया गया। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत की अनदेखी एवं अनियमित कार्यवाही के द्वारा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं. 2 के कायम मुकाम की ओर से इस प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता को निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अपना बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(ख) के अन्तर्गत जारी किया गया है, जो पुराने कब्जों के नियमितीकरण के लिये जारी किया जाता हैं जबकि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा विवादित भूखण्ड जरिये इकरारनामा क्रय किया गया हैं। इसके अलावा यह

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भी प्रकट किया हैं कि नियम 157(ख) की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन से पाया जाता हैं कि मौका कमेटी का गठन किये बिना ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई है जिस पर सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। प्रार्थी ने इस निगरानी प्रार्थना पत्र के संलग्न ग्राम पंचायत समदड़ी को प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 13.12.2007 पर प्राप्ति रसीद अंकित हैं किन्तु उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत की पत्रावली में सम्मिलित नहीं है और न ही इसके निस्तारण का उल्लेख आदेशिकाओं में किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना अनियमित एवं अपूर्णय कार्यवाही द्वारा आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में इस बिन्दु पर पूर्णतया अनियमितता बरती गई हैं, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अपूर्णता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा बैठक दिनांक 05.02.2008 के संकल्प सं. 3 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 06 दिनांक 18.06.2008 को अपास्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2020.01.23 11:30:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: